



41

समक्ष मध्य प्रदेश राजस्व मण्डल, ग्वालियर

प्र. क्र. / / 2018 निगरानी PBR/किगरानी/ग्वालियर/भू.र/2018/1520

1 अजीत सिंह बाजवा पुत्र श्री रंजीत सिंह, आयु-77 वर्ष

2 श्रीमति मनिन्दर पाल पत्नी श्री प्रतिपाल सिंह आयु-59 वर्ष

निवासीगण- ग्राम अकबई बडी तहसील डबरा जिला ग्वालियर

....निगरानीकर्ता

विरुद्ध

1 श्रीमति मनिन्दर बुटालिया पत्नी कर्नल सर्वजीत सिंह आयु-62 वर्ष,

निवासी-एच-901, विवेक विहार ! सेक्टर, 82 नोएडा (उ0प्र0)

2 गुरिन्दर पाल सिंह पुत्र श्री जगजीत सिंह, आयु-59 वर्ष

निवासी- ग्राम अकबई बडी तहसील डबरा जिला ग्वालियर

3 म0 प्र0 शासन द्वारा पटवारी ग्राम अकबई बडी तहसील डबरा जिला ग्वालियर

श्री मनिन्दर पाल - 15-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 04-3-18 नियत।
जज की कोर्ट 1-3-18
समक्ष मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष मध्य प्रदेश, ग्वालियर
पृष्ठ क्र.
दिनांक 01/3/18
अधिकारी का नाम RW



निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म० प्र० भू-राजस्व संहिता विरुद्ध
आदेश प्र० क्र० 20/2017-18 दिनांकी 24/11/2017 द्वारा
पारित एस.डी.ओ डबरा जिला ग्वालियर



न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/ग्वालियर/भू.रा./1520/2018

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04-10-2018	<p>दिनांक 25.09.2018 से भू-राजस्व संहिता संशोधन 2018 प्रभावशील हो जाने से अब अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित अंतरिम आदेश की पुनरीक्षण का निराकरण मण्डल द्वारा नहीं किया जाकर कलेक्टर द्वारा किया जाना है। अतः संहिता की संशोधित धारा 50 सहपठित धारा 54(a) के तहत यह प्रकरण निराकरण हेतु कलेक्टर, ग्वालियर को अंतरित किया जाता है।</p> <p>पक्षकार को सूचित किया जाये।</p> <p> सेक्टर</p>	<p> अध्यक्ष</p>